न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 229/2022

अनवान मुकदमा –

1. रामपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गोविन्दराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता ––– वादीगण
2. श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता ––– प्रतिवादी सं. 1 ता 2

–:: निर्णय :–

दिनांक – 08/06/2022

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है । वाद पत्र दो प्रतियों मय शपथ पत्र मे समर्पित प्रस्तुत किया गया है ।

वादीगण हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है। उक्त हिन्दु संयुक्त परिवार के कर्ता वादीगण के दादा श्री नत्थूराम थे। जहां तक वाद पत्र का संबंध है सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक नं. 40 एलएलडब्लयू–बी के खाता सं. 87 के प.नं. 8/240, 9/240 की कुल 3.921 हैक. नहरी म.गै.मु. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चित्रप्रति जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र की गई है।

वाद पत्र की दफा 3 मे वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे वादीगण के दादा श्री नत्थूराम के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनकी मृत्यु के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसों को ओद हुई। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों मे पैतृगत कृषि भूमि का अच्छी मंदी व काश्त की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया और घरू बंटवारा के समय प्रतिवादी सं. 2 ने अपना समस्त हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:10:46 IST
Reason: SelfAttested

08.06.2022
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

वादीगण के हक मे त्याग कर दिया तत्पश्चात वादीगण को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुईः–

क. वादी सं. 1 रामपाल को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
40 एलएलडब्लयू–बी	8/240	16 ता 18, 23, 24	1.265 हैक.

ख. वादी सं. 2 गोविन्दराम को घरू बंटवारा मे प्राप्त कृषि भूमिः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
40 एलएलडब्लयू–बी	9/240	16 ता 20	1.265 हैक.

शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई।

वादीगण का कब्जा वाद पत्र की दफा 4"क–ख" मे वर्णित कृषि भूमि अनुसार कब्जा घरू बंटवारा के समय ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादीगण ने फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादीगण वाद पत्र की दफा 4 "क–ख" मे वर्णित कृषि भूमि अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद वादीगण निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि वाद पत्र की दफा 4 "क–ख" मे वर्णित कृषि भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

–:: आदेश ::–

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवोकन किया गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद पत्र मे वर्णित कृषि भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:50:46 IST
Reason: SelfAttested

08.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

क. वादी सं. 1 रामपालः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
40 एलएलडब्लयू–बी	8/240	16 ता 18, 23, 24	1.265 हैक.

ख. वादी सं. 2 गोविन्दरामः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
40 एलएलडब्लयू–बी	9/240	16 ता 20	1.265 हैक.

शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:30:46 IST
Reason: SelfAttested

08.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 229/2022

अनवान मुकदमा –

1. रामपाल पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. गोविन्दराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. लालचन्द पुत्र नत्थूराम जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. संतोष पुत्री लालचन्द जाति कुम्हार साकिन अमरसिंहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 08/06/2022

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमारआरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि के निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है–

क. वादी सं. 1 रामपालः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
40 एलएलडब्लयू–बी	8/240	16 ता 18, 23, 24	1.265 हैक.

ख. वादी सं. 2 गोविन्दरामः–

चक	प.नं.	किला	तादादी
40 एलएलडब्लयू–बी	9/24[illegible]	[illegible] ता [illegible]	1.265 हैक.

शेष भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:50:46 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार(राजस्व) [illegible] किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

08.06.2022

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह आदेश आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.27 17:50:46 IST
Reason: SelfAttested